संख्या-1/2024/1900/33-3-2024

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पंचायती राज अनुभाग-3 लखनऊः दिनाँकः 02 अक्टूबर, 2024

विषयः- जीरो पावर्टी-उत्तर प्रदेश अभियान के सम्बन्ध में।

महोदय,

प्रदेश में निवासरत सभी निर्धन परिवारों को भोजन व वस्त्र की समुचित उपलब्धता हो तथा अच्छी शिक्षा, चिकित्सा व मकान की सुविधा उपलब्ध हों, यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है । उपरोक्त के अतिरिक्त इन परिवारों में सतत आय की एक व्यवस्था बनाया जाना भी आवश्यक है। गरीबी एक बहु-आयामी (multi-dimensional) परिस्थिति है, अतः इसके समुचित निराकरण के लिए सभी सम्भव उपायों/ विकल्पों पर कार्य करना आवश्यक है । यह सुनिश्चित करने के लिए शासन प्रत्येक ग्राम पंचायत के निर्धनतम 10-25 परिवारों पर विशेष रूप से ध्यान केन्द्रित करते हुए विभिन्न योजनाओं को कन्वर्ज करना चाहता है ।

2. अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम-1947 की धारा-15 में ग्राम पंचायतों के कर्तव्य दिए गए हैं, जिसमें सेक्शन - 15 (XVI) गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के क्रियान्वयन से सम्बन्धित है । उक्त के अतिरिक्त ग्राम पंचायतों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास तथा कृषि कॉटेज एवं विलेज इण्डस्ट्री व अन्य सहायक क्षेत्रों में कार्य करने की जिम्मेदारी पंचायतों को दी गयी है ।

विज़न तथा अवधारणा

3. जीरो पावर्टी अभियान का विज़न उत्तर प्रदेश में एक्स्ट्रीम गरीबी का उन्मूलन है (Elimination of Extreme Poverty) । यह विज़न भारत के संविधान तथा राष्ट्रीय लक्षों के अनुरूप है, यह आवश्यक है कि इस विज़न को त्वरित गति के साथ और समयबद्ध तरीक़े से प्राप्त किया जाए ।

4. जीरो पावर्टी अभियान के त्वरित कार्यान्वयन के लिए यह आवश्यक है निर्धनतम परिवारों के जीवन के जिन आयामों पर हस्तक्षेप किया जाना है, उनकी स्पष्ट पहचान हो । समस्याओं और संभावनाओं पर स्पष्ट समझ की ज़रूरत के साथ साथ उनके **मापन-सूचक बेंचमार्क** (measurable benchmark) पर एक ठोस डिजिटल डेटाबेस तैयार किया जाना आवश्यक है । यह शासन में तथा सभी संबंधित विभागों के त्वरित निर्णय में सहायक होगा। ऐसे कतिपय आयामों का उल्लेख नीचे किया गया है जिन पर व्यापक एवं प्रमाणिकता के साथ निर्विवाद आँकड़ों का डिजिटल डेटाबेस तथा बेंचमार्क तैयार किया जाना आवश्यक है। बेंचमार्क की अनिवार्यता इस लिए है ताकि शासन के हस्तक्षेप से निर्धनतम परिवारों में होने वाले अपवार्ड मोबिलिटी (Upward mobility जीवन व आजीविका के क्षेत्र में उन्नयन) का जीरो-पावर्टी पोर्टल पर रिकॉर्डिंग हो सके । उल्लिखित आयामों के कुछ बिंदु निम्नवत् है -

आयाम 1: निर्धनता की स्थिति - बेंचमार्क

- उनके वित्तीय स्थिति की पृष्ठभूमि तथा वर्तमान स्थिति की स्पष्ट समझ;
- परिवार में परिसंपत्ति का विवरण, उनकी उत्पादकता व ऋण/ देयता का प्रोफाइल;
- निर्धनता के पीछे परिवार के वल्नरबिलिटीज/ जोखिम/ रिस्क;
- शासकीय सेवाओं तक परिवार के पहुँच हेतु पात्रता की स्थिति का आंकलन;
- शासकीय सेवाओं में गारंटी/ एंटाइटलमेंट्स के अंतर्गत परिवार की पहुँच की स्थिति;

आयाम 2: आर्थिक उत्पादकता की संभावना पर स्पष्ट समझ - बेंचमार्क

- स्वास्थ्य, कामकाजी उम्र व स्थिति, अन्य डेमोग्राफिक फीचर;
- स्किल-स्तर, री-/ अप-स्किलिंग की संभावनायें;
- प्रीमियम स्किल-मार्केट तक प्रवास की संभावना;
- स्वरोज़गार/ रोज़गार की संभावना

आयाम 3: शासन द्वारा कस्टम-रिस्पांस की अवधारणा

- बेसिक सर्विस के माध्यम से सेफ्टी-फ्लोर सुनिश्चित करना;
- जो परिवार आय अर्जित करने की स्थिति में नहीं हैं, उन्हें पेंशन से अच्छादित करना;
- कस्टम-लाइवलीहुड/ आजीविका के सपोर्ट
- री-/ अप स्केलिंग: वोकेशनल शिक्षा, सभी के लिए कौशल विकास;

- स्किल मार्केट के माँगों व अपेक्षाओं का इंटेल रखना तथा उसके अनुसार रेस्पोंड करना;
- मार्केट/ फाइनेंसियल लिंकेज/ intermediation;

आयाम 4: कार्यक्रम एवं ऑपरेशनल वाइएबिलिटी

- उद्यम/ उद्यमिओं में शासन का विज़न साझा करना; उनके साथ स्किल तथा एम्प्लॉयबिलिटी के अवसर का सृजन करना;
- सीएसआर के साथ लिंकेज स्थापित करने का अवसर पैदा करना: स्कॉलरशिप, इंटर्नशिप तथा एंडोमेंट (endowments) की व्यवस्था करना;
- कृषि में आजीविका के नये क्षेत्र/ नवाचार;
- शासन के अधोसंरचना विकास के साथ स्किल- व अन्य पहलुओं पर संबद्धता;
- बैंकिंग व वित्तीय सेवाओं के साथ मज़बूत लिंकेज/ संबद्धता;

5. जीरो पावर्टी अभियान को शासन का एक समयबद्ध, पारदर्शी तथा प्रभावी हस्तक्षेप बनाने के लिए कुछ **<u>महत्वपूर्ण कदम</u>** उठाये जाएँगे जो मुख्यतः निम्नवत् होंगे:

(i) **विज़न में स्पष्टता:** व्यापक प्रचार प्रसार तथा शासन के सभी विभागों के स्तरों पर प्रतिवद्धता की स्पष्ट अभिव्यक्ति आवश्यक होगा;

(ii) **प्रोफेशनल** तत्परता (**प्रोफेशनल डिलिजेंस**) एवं वर्क-प्रोसेस पर बेहतर नियंत्रण। स्पष्ट रूप से परिभाषित कमांड व कंट्रोल। डिजिटल प्लेटफार्म से गाइडेड सूचना प्रणाली त्वरित निर्णय तथा कार्यान्वयन की सटीक रिपोर्टिंग;

(iii) **परियोजना** के कार्यान्वयन में अस्पष्टता पैदा ना हों इसलिए कार्यान्यवयन तथा रिपोर्टिंग पूरी तरह डिजिटल प्लेटफार्म के माध्यम से संपन्न किए जाने के आवश्यकता है;

(iv) **योजनाओं** के डिलिवरी की लंबी **प्रक्रियाओं को सरल व नियंत्रित करना**; हर प्रक्रिया का **पेंडेंसी रिपोर्टिंग** अनिवार्य करना;

(v) **एक यूनिफाइड विशेषज्ञ प्रोफेशनल टीम** को कार्यशील करना; जो कैंपेन मोड पर हर रोज़ दिन-रात कार्य में जुट सकें; सीएम हेल्पलाइन, IGRS के माध्यम से संबद्धता ताकि सूचना व संप्रेषण की निरंतरता में कोई कमी ना रहे ।

6. जीरो-पावर्टी अभियान में निर्धनतम परिवारों के चिन्हीकरण तथा चयन के लिए विकसित डिजिटल टेक्नोलॉजी प्लेटफार्म की मुख्य विशेषता -

(i) चिन्हीकरण: निर्धनतम परिवारों के स्पष्ट और निर्विवाद पहचान हो सकेगी;

(ii) चयनोपरांत रिपोर्टिंग डैशबोर्ड: निर्धनतम परिवारों के प्रोफाइल से यह स्पष्ट संकेत मिलेगा कि विभागों की तरफ़ से क्या और कितना रिस्पांस किया जाना है;

(iii) विभागीय कंसोल: विभागीय योजनाओं व शासन-सहायतित रिस्पांस से प्रत्येक परिवार में होने वाले अपवार्ड मोबिलिटी (Upward mobility) के रियल-टाइम संकेतक पोर्टल पर कैप्चर किए जा सकेंगे;

(iv) सीएम हेल्पलाइन, IGRS: के संबद्धता से सभी अच्छादित परिवारों से नज़दीकी संपर्क स्थापित होगी; संबंधित विभागीय अधिकारी व कर्मचारी से आवश्यकतानुसार दिन-प्रतिदिन समन्वय;

(v) क्लाउड कॉलिंग टेक्नोलॉजी से निर्धनतम परिवारों के डेटाबेस से सीएम हेल्पलाइन, IGRS का इंटीग्रेशन; प्रगति, प्रदर्शन, ज़मीनी नतीजे व पेंडेंसी का स्पष्ट मापन;

(vi) नीति आयोग के मल्टी-डाइमेन्शनल पावर्टी इंडेक्स के सभी प्रावधानों का सख़्ती से अनुपालन, तथा

(vii) अभियान के कार्यान्वयन, methodology तथा डिजिटल फंक्शन पर स्पष्टता, रोज़मर्रा की प्रगति तथा परफॉरमेंस ट्रैकिंग इत्यादि में मदद के लिए शासन के उच्च स्तर पर विशेषज्ञ टीम/ परफॉरमेंस सपोर्ट यूनिट का गठन ।

7. मोबाइल एंट्री फॉर्म के माध्यम से जिन पहलुओं/ आयामों पर सूचना संकलित किया जाना है, वे निम्नवत् है -

(i) **बुनियादी सूचना**: नाम, फ़ोन नंबर, आधार, पता, बैंक अकाउंट इत्यादि;

(ii) **डेमोग्राफिक विवरण**: प्रत्येक परिवार के हर सदस्य का उम्र, शिक्षा, स्वास्थ्य व अन्य डेमोग्राफिक डिटेल;

(iii) **निर्धनता का मापन**: निर्धनतम परिवारों के स्पष्ट संकेतकों व विशिष्टताओं के आधार पर पहचान;

(iv) **आय के साधन व प्रोडक्टिविटी**: आय के सभी संकेतकों का मैपिंग व मापन; आर्थिक उत्पादकता/ प्रोडक्टिविटी पर विस्तृत जानकारी; संभावनाओं पर सभी आवश्यक सूचना;

(v) **परिसंपत्ति व देयता**: आर्थिक, घरेलू व तरल संपत्ति की पहचान/ जानकारी; संपत्ति के आवश्यकता का आँकलन, ऋण व देयता की सूचना; उनके कारणों व संभावनाओं पर जानकारी;

(vi) **इम्प्लॉयबिलिटी के संकेतक**: शासन से अपेक्षित मदद, मदद के प्रकार;

(vii) इम्प्लॉयबिलिटी पर **सम्मति व रुचि**: सभी विकल्पों के सूचना के साथ, परिवारों में आजीविका के सभी पहलुओं पर सम्मति व रुचि का मैपिंग ।

(viii) प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिये आजीविका के संदर्भ, संदर्भों में बदलाव के संकेत व संभावनाओं का आँकलन ।

चयन प्रक्रिया

8. प्रत्येक ग्राम पंचायत के निर्धनतम 10-25 परिवारों के विषय में सूचना एकत्रित की जायेगी ।निर्धनतम परिवारों के चयन के लिए त्रिस्तरीय तथा हाइब्रिड पद्धति का उपयोग होगा । चयन प्रक्रिया संपूर्ण रूप से पारदर्शी होगी साथ ही हर चरण तथा स्तर पर चयन में शामिल कर्मचारी, अधिकारी तथा ग्राम पंचायतों के पदाधिकारी जवाबदेह होंगे । चयन की प्रक्रिया निम्नवत होगी -

प्रथम स्तर: मॉप-अप मोबाइल ऐप पर निर्धनतम परिवारों का चिन्हीकरण । निर्धनतम परिवारों के चयन में निम्नलिखित चार मानकों को आधार माना जा सकता है -

- गृह हीन/ कच्चा मकान;
- भूमिहीन वे परिवार जिनका कृषि-परक आजीविका का अलावा कोई अन्य विकल्प नही है;
- दिहाड़ी, कृषि मजदूरी पर आश्रित वे परिवार जिनका अनिश्चित तथा अनियमित आय है;
- जिन परिवारों में आर्थिक संसाधनों के कमी है; परिवार में हमेशा खाने-पहनने की तंगी रहती है;

प्रक्रिया: ग्राम स्तरीय कर्मचारियों/ कैडर (enumerator) के माध्यम से ऐसे सभी परिवारों का चिह्नीकरण तथा मॉप-अप मोबाइल ऐप पर परिवार के वांछित सूचनाओं की एंट्री की जायेगी। ग्राम स्तरीय कर्मचारी/ कैडर जिन्हें मॉप अप मोबाइल ऐप पर निर्धनतम परिवारों का चिन्हीकरण करना है, वे निम्नवत् होंगे -

(i) पंचायत सहायक,

(ii) ग्राम रोजगार सेवक,

(iii) आजीविका मिशन द्वारा संबद्ध किए गए समूह सखी तथा अन्य सामुदायिक कैडर, और

(iv) बीसी सखी;

ग्राम स्तरीय कर्मचारी/ कैडर (enumerator) द्वारा मॉप-अप मोबाइल पर परिवारों का चिन्हीकरण स्थलीय विजिट के माध्यम से तथा परिवार के मुखिया की उपस्थिति में किया जाना है । अगर परिवार के पास स्वयं का स्मार्टफोन है, तो वे स्वयं भी अपना सूचना भर सकेंगे । **यह ध्यान में रखना है कि उपरोक्त मानकों के अनुरूप प्रत्येक ग्राम पंचायत से कोई भी निर्धनतम परिवार ना छूटे तथा एक भी परिवार का नियत मानकों के आधार पर ग़लत चिन्हीकरण ना हो ।** प्रत्येक enumerator का जीरो-पावर्टी पोर्टल पर विस्तृत रजिस्ट्रेशन होगा ताकि उनके सापेक्ष उनके द्वारा चिन्हित परिवारों की स्पष्ट मैपिंग हो सके। इससे किसी भी ग़लत सूचना रिकॉर्ड किए जाने की स्थिति में उनकी जवाबदेही तय किया जा सकेगा । डिजिटल केंद्रीयकृत व्यवस्था के अंतर्गत, सभी चिह्नित परिवारों के रिकॉर्ड्स के 'कंप्लीटनेस व गुणवत्ता' की जांच होगी तथा उन्हें आवश्यकतानुसार परिमार्जित/ संशोधित किया जाएगा ।

द्वितीय स्तर: प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक ग्राम स्तरीय समिति की संरचना की जायेगी, जिसके **पांच सदस्य** निम्नवत होंगे –

- ग्राम प्रधान;
- पूर्व ग्राम प्रधान (जो वर्तमान ग्राम प्रधान नही हैं);
- विद्यालय के हेड मास्टर (अगर एक से ज़्यादा विद्यालय हैं, तो वरिष्ठ हेड मास्टर);
- सबसे पुराने दो स्वयं सहायता समूह के अध्यक्ष। अगर किसी ग्राम पंचायत में एक से ज़्यादा समूह नहीं हैं; उनके दो पदाधिकारी समिति के सदस्य होंगे।
- किसी ग्राम पंचायत में एक भी स्वयं सहायता समूह के ना होने से, स्वास्थ्य विभाग से संबद्ध आशा बहू तथा ICDS से संबद्ध आंगनवाड़ी सेविका वैकल्पिक सदस्य होंगी।

प्रक्रिया: मॉप-अप मोबाइल ऐप से प्राप्त चिह्नित परिवारों के रिकॉर्ड्स का 'कंप्लीटनेस तथा गुणवत्ता' की जाँच के पश्चात उन्हें ग्रामस्तरीय समिति के सदस्यों द्वारा उपयोग किए जाने वाले मॉप-अप मोबाइल ऐप के डैशबोर्ड पर दर्शाया जाएगा । उनके द्वारा प्रत्येक चिह्नित परिवार के रिकॉर्ड्स का स्थलीय सत्यापन करने के पश्चात मोबाइल ऐप पर दिए गए विकल्प पर अपना अभिमत व्यक्त करना है । पाँच सदस्य में से न्यूनतम तीन सदस्य के एक-समान अभिमत चयन के लिए आवश्यक होगा । सभी ग्राम स्तरीय सदस्य के नाम तथा पद ग्राम पंचायत-वार पोर्टल पर उपलब्ध होंगे ।

<u>तृतीय स्तर</u>: Enumerator के चिन्हीकरण तथा ग्राम स्तरीय समिति की अभिमत के पश्चात, डिजिटल सिस्टम पर परिवारों के destitution का स्तर तथा वल्नरेबिलिटीज़ (vulnerabilities) के दृष्टिगत ऑटोमेटेड रेटिंग संपादित होगी। कंप्यूटर-आधारित रेटिंग के मानक तथा फ्रेमवर्क मॉप-अप ऐप तथा जीरो-पावर्टी अभियान के प्लेटफार्म पर उपलब्ध कराए जाएँगे ।

<u>प्रक्रिया</u>: मुख्य सचिव के स्तर पर गठित परफॉरमेंस सपोर्ट यूनिट द्वारा सभी परिवार के रिकॉर्ड्स के परीक्षण के पश्चात, संदेहास्पद रिकॉर्ड्स के स्थलीय परीक्षण सम्पादित कराए जाएँगे । ऐसे रिकॉर्ड्स का स्थलीय परीक्षण विशेषज्ञ टीम द्वारा किया जाएगा । सूचना ग़लत पाए जाने की स्थिति में, विशेषज्ञ टीम संबंधित enumerator तथा ग्रामस्तरीय समिति के लिए उपयुक्त कार्यवाही की अनुशंसा करेगी ।

9. सभी चयनित निर्धनतम परिवारों की सूची ग्राम पंचायत सचिवालय व अन्य सार्वजनिक स्थान पर जन सामान्य की सूचना के लिए प्रदर्शित किया जाएगा । यह सूची पंचायत वार जीरो-पावर्टी पोर्टल पर भी प्रदर्शित होगी।

शासन के सभी सम्बन्धित विभागों की योजनाओं का कन्वर्जेंस:

10. इन चिन्हित निर्धनतम परिवारों पर निम्नलिखित योजनाओं को कन्वर्ज (converge) करते हुए योजनाओं के अंतर्गत उपलब्ध सुविधाएं/ लाभ प्रदान कराए जाएँगे -

i. खाद्य एवं रसद विभाग की योजनायें; राशन कार्ड तथा राशन उपलब्ध कराना;
ii. ग्रामीण आवास: प्रधानमंत्री तथा मुख्यमंत्री आवास योजना;
iii. शिक्षा: स्कूलों में दाखिला, यूनिफार्म, किताबें तथा अन्य सभी लाभ;
iv. चिकित्सा सुविधाये तथा आयुष्मान भारत बीमा योजना; चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की योजनाएं;
v. श्रम विभाग/ BOCW की योजनाएं;
vi. किसान सम्मान निधि तथा कृषि विभाग से अन्य सभी उपयुक्त योजनाएं;
vii. मनरेगा, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन;
viii. महिला, बाल विकास एवं पुष्टहार विभाग: समेकित बाल विकास सेवा योजना तथा अन्य योजनाओं के लाभ;
ix. महिला कल्याण, पिछड़ा वर्ग कल्याण, अनुसूचित जाति या जनजाति कल्याण एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभागों की योजनाएं;

x. जल जीवन मिशन, नमामि गंगे एवं ग्रामीण पेयजल एवं स्वच्छता;

xi. पंचायती राज विभाग की योजनाएं;

xii. कौशल विकास मंत्रालय, भारत सरकार का स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव (SDI) तथा अन्य सभी कौशल विकास व उनसे जुड़े हुए एम्प्लॉयेबिलिटी के लाभ वाले योजनाएं;

xiii. स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस टू SC & ST सब-प्लान से जुड़े कौशल विकास की योजनाएं;

xiv. स्टेट स्किल डेवलपमेंट फण्ड (SSDF) तथा यूपी स्टेट टॉप-अप फण्ड की कौशल विकास की योजनाएं;

xv. अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम, तथा

xvi. अन्य शासकीय विभागों की योजनाएं;

xvii. Corporate Social Responsibility (CSR/ सीएसआर) व अन्य गैर-शासकीय संस्थाओं द्वारा संचालित योजनाएं;

फ़ैमिली आई.डी.

11. निर्धनतम परिवारों से संबंधित पोर्टल (http://zero-poverty.in) तथा फैमिली आई0 डी0 पोर्टल (https://familyid.up.gov.in) का ए0पी0आई0 के माध्यम से इंटीग्रेशन की कार्यवाही की जायेगी । ऐसे चिन्हित निर्धनतम परिवार जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम से लाभान्वित नहीं है अथवा जिनका फैमिली आई०डी०निर्गत नहीं है उनके परिवार का समस्त विवरण प्राप्त करते हुए उन्हें राशन कार्ड से आच्छादित करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी । उपरोक्त प्रक्रिया के दौरान परिवार को फैमिली आई०डी० भी आवंटित किया जा सकेगा । जिन परिवारों का फैमिली आई०डी० पूर्व से निर्गत है, उन्हें प्राप्त हो रहे शासकीय सेवाओं के लाभ की स्थिति फैमिली आई०डी० पोर्टल से प्राप्त की जाएगी एवं मॉप-अप मोबाइल ऐप में आवश्यक मौड्यूल सुनिश्चित करते हुए ग्राम्य स्तरीय समिति द्वारा स्थलीय सत्यापन की व्यवस्था भी की जाएगी ।

12. उपरोक्त योजनाएं जो इन परिवारों पर कन्वर्ज की जा रही हैं, इसकी लगातार मॉनीटरिंग सम्बन्धित विभाग के अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव द्वारा की जाएगी। उपरोक्त पोर्टल पर सभी विभागों द्वारा पहचान किए गए निर्धनतम परिवारों की योजनाओं के लाभ तक उनकी पहुँच का सत्यापन तथा अंततः निर्धनतम परिवारों को

योजनाओं से दिये जा रहे लाभों की स्थिति अपडेट करने की कार्यवाही भी की जाएगी ।

सतत तथा नियमित आमदनी के उपाय

13. चयनित निर्धनतम परिवारों के सतत आमदनी के लिए कस्टमाईज प्लान/ पैकेज तैयार करना भी आवश्यक है ताकि उनके लिए लगातार एक आमदनी का जरिया सृजित किया जा सके । इस कार्य के लिए सम्बन्धित जनपद के प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान के विद्यार्थी, जो इस कार्य के लिए सक्षम है और वालेंटियर करते हैं, उनका चयन कर इन परिवारों के साथ सम्बद्ध किया जाएगा। उनके द्वारा चिन्हित परिवारों के साथ समुचित विचार-विमर्श के उपरान्त तथा उनके क्षेत्र की स्थितियों व आजीविका के अवसरों को ध्यान में रखते हुए उनके लिए विशिष्ट आर्थिक परियोजना-विषयक संभावनाओं को तय करते हुए एक प्रोजेक्ट तैयार करेंगे । इस परियोजना को विभिन्न विभागों के सहयोग से निर्धनतम चिन्हित परिवार के लिए क्रियान्वित कराया जाएगा । परियोजना निर्माण में प्रतिष्ठित विशेषज्ञ व सिविल सोसायटी ऑर्गनाईजेशन को भी आबद्ध किया जा सकता है ।

14. इस अभियान के आउट-कम की सतत मॉनीटरिंग के लिए भी स्वतंत्र एजेंसीज/ शैक्षणिक संस्थानों को सम्बद्ध करते हुए ईवैल्युएशन/ मॉनीटरिंग का कार्य कराया जाएगा । इस योजना की प्रगति के अनुश्रवण के लिए व आने वाली कठिनाईयों के निराकरण के लिए राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सम्बन्धित विभागों के अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव की एक समिति होगी, जो इसका नियमित अनुश्रवण करेगी ।

15. जनपद स्तर पर इस योजना के क्रियान्वयन के लिए सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे । राज्य स्तर पर प्रोजेक्ट कन्सर्न इन्टरनेशनल इंडिया/ Project Concern International India (PCI) द्वारा एक मल्टी-सेक्टोरल विशेषज्ञ टीम की स्थापना की जाएगी, जो योजना के क्रियान्वयन, ऑपरेशनल हैंडहोल्डिंग व मॉनीटरिंग में मदद करेगी ।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जीरो पावर्टी अभियान का तेज गति से क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए तथा अगले एक वर्ष में प्रदेश के प्रत्येक ग्राम पंचायत से चिन्हित निर्धनतम परिवारों को गरीबी से बाहर निकालने व

बनाए रखने के लिए इस अभियान के तहत पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य किया जाए ताकि एक वर्ष के उपरान्त प्रदेश को 'जीरो पावर्टी प्रदेश' घोषित किया जा सके ।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(मनोज कुमार सिंह)
मुख्य सचिव।

संख्याः-**1/2024/**1900**(1)/33-3-2024**

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश ।
3. निदेशक, पंचायती राज, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
4. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
5. समस्त मण्डलीय उप निदेशक, पंचायत, उत्तर प्रदेश ।
6. समस्त जिला पंचायतराज अधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
7. कंट्री डायरेक्टर एवं लीडः पालिसी व गवर्नमेंट इनिशिएटिव (साउथ व साउथ-ईस्ट एशिया), Bill & Melinda Gates Foundation (BMGF), नई दिल्ली (BMGF टीम के साथ मुख्य सचिव महोदय के दिनांक अगस्त 8, 2024 को हुए वार्ता व निर्णय के संदर्भ में)
8. सीनियर प्रोग्राम ऑफिसर एवं कंट्री लीड वूमेन लाइवलीहुड, Bill & Melinda Gates Foundation (BMGF), नई दिल्ली
9. कंट्री डायरेक्टर, PCI India, नई दिल्ली ।
10. स्टेट-हेड, PCI India, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

आज्ञा से,

(राजेश कुमार त्यागी)
विशेष सचिव।

संलग्नक 1:

जीरो पावर्टी अभियान के सफल क्रियान्वयन के लिए उपयुक्त डिजिटल टेक्नोलॉजी का गाइडलाइन व डिजिटल पोर्टल व मोबाइल ऐप पर कार्य करने संबंधीं दिशानिर्देश:

प्रस्तावना:

1. **जीरो पावर्टी-उत्तर प्रदेश** अभियान उत्तर प्रदेश शासन द्वारा एक स्पष्ट उद्देश्य व फोकस के साथ डिजिटल पोर्टल http://zero-poverty.in के माध्यम से प्रबंधित होगी । शासकीय या विभागीय पत्रावली में अभियान को जीरो पावर्टी अभियान या अंग्रेज़ी में Zero Poverty Campaign कहा जा सकेगा । परियोजना से जुड़े डिजिटल इकोसिस्टम (Ecosystem) में जो वेब-आधारित या मोबाइल आधारित एप्लीकेशन प्रयोज्य होने के साथ क्लाउड-कॉलिंग व्यवस्था से संबद्ध होंगे उनका विवरण व दिशा निर्देश निम्नवत् है। ये संपूर्ण डिजिटल प्लेटफार्म के निर्माण, विकास तथा मेंटेनेंस की ज़िम्मेदारी व वित्त-पोषण PCI इंडिया की होगी, जो कि उत्तर प्रदेश शासन के साथ ग़ैर-वित्तीय पार्टनरशिप व्यवस्था में इस अभियान के लिए संबद्ध होंगे ।

1.1. नोडल पोर्टल: http://zero-poverty.in

सभी विभागों/ या स्वायत्व इकाईओं के लिये पोर्टल में उनके विभाग/ इकाई के नाम प्रीफ़िक्स में उल्लेख होगा, जैसे, ग्राम्य विकास विभाग के लिए पोर्टल (sub-domain) का नाम स्वतः http://rd.zero-poverty.in या बेसिक एजुकेशन विभाग के लिए पोर्टल (sub-domain) का नाम http://basic-education.zero-poverty.in उल्लेख होगा । चूँकि सभी विभागों के नाम का सूची पोर्टल के मेनू में स्पष्ट दिखेगा, इसलिए किसी भी विभाग के पोर्टल के नाम पर कोई भ्रम या असुविधा नहीं होगी ।

1.2. 'मॉप-अप' (Mop-up) मोबाइल ऐप

वेब-इनेबल्ड एप्लीकेशन के सापेक्ष, डिजिटल टेक्नोलॉजी में मोबाइल ऐप का उपयोग ऐसे यूजर के लिये लक्षित है जिन्हें कंप्यूटर-युक्त कार्यस्थल इत्यादि की सुविधा नहीं है या जिनका कार्य अधिकतर फील्ड में है । मॉप-अप मोबाइल ऐप का प्रयोग निर्धनतम परिवारों के पहचान करने के लिए किया जाना है । ग्राम स्तरीय कर्मचारी तथा ग्राम स्तरीय समिति के सदस्य/ पदाधिकारी इस ऐप का

उपयोग करेंगे । ग्राम स्तरीय 5-सदस्यीय समिति को ग्राम स्तरीय कर्मचारियों द्वारा पहचान किए गये निर्धनतम परिवारों के रिकॉर्ड उनके मोबाइल के डैशबोर्ड में प्रदर्शित होंगे वे उनका स्थलीय सत्यापन करेंगे तथा मोबाइल ऐप पर ही अपना अभिमत व्यक्त करेंगे। ग्राम स्तरीय कर्मचारी की टीम 30 दिवस के अंदर अपने ग्राम पंचायत में निवास कर रहे सभी निर्धनतम 10-25 परिवारों का पहचान करेंगे। मॉप-अप मोबाइल ऐप का लिंक निम्नवत् है ।

(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.triline.upsrlm.mopup)

1.3. रिश्ता (RISHTA) मोबाइल ऐप

रिश्ता मोबाइल ऐप आजीविका मिशन, ग्राम्य विकास विभाग द्वारा संचालित मोबाइल ऐप है, जिस पर बीसी सखी के सभी प्रक्रिया व प्रगति संबंधी गतिविधि व टेक्नोलॉजी प्लेटफार्म पर बैंकिंग ट्रांजेक्शन के विवरण/ रिपोर्ट उपलब्ध होता है । रिश्ता ऐप बीसी सखी, स्वयं सहायता समूह, ग्राम संगठन व क्लस्टर संकुल के सदस्य भी उपयोग करते हैं । रिश्ता ऐप के माध्यम से, मिशन के डिजिटल प्लेटफार्म पर चिन्हित की गई निर्धनतम परिवारों तथा उनके द्वारा डीबीटी की राशि व भुगतान से जुड़े बैंकिंग सेवाओं की सूचना मिशन, ग्राम्य विकास विभाग तथा शासन को उपलब्ध होगी । सभी विभागों से संबंधित डीबीटी भुगतान की लाभार्थिओं तक पहुँच की सूचना बीसी सखी द्वारा रिश्ता ऐप के माध्यम से रियल टाइम पर उनके पोर्टल के कंसोल पर उपलब्ध होगी । रिश्ता मोबाइल ऐप का लिंक निम्नवत् है ।

(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.triline.upsrlm.rishta)

विभागों की पोर्टल से संबद्धता; अन्य यूज़र्स जोड़ने के प्रावधान

2. जैसा पैरा 1.1 में संकेत किया गया है, हर विभाग के शासकीय तथा प्रशासनिक मुखिया का पदवार नाम तथा मोबाइल पोर्टल में पंजीकृत होगा । पोर्टल पर पंजीकृत सभी अधिकारी/ यूजर-एडमिन OTP (One-time password) सत्यापन के माध्यम से अपने मोबाइल नंबर http://zero-poverty.in पोर्टल पर अपने विभाग के लिए बने कंसोल पर स्वतः अपनी पंहुँच बना पायेंगे । एकबार विभागीय यूजर-एडमिन अपने कंसोल पर प्रवेश करने के पश्चात, अपने विभाग के अन्य यूजर को

स्वयं संबद्ध कर पायेंगे/ जोड़ पायेंगे (user-add) । ऐसे user-add किए गए अधिकारी/ व्यक्ति बिना किसी असुविधा के विभागीय कंसोल पर कार्य कर पायेंगे । किसी भी तरह की असुविधा होने पर वे सीधे मुख्य सचिव के विशेषज्ञ टीम या टेक्नोलॉजी एजेंसी को ह्वाट्सऐप नंबर 9070804060 पर संपर्क कर सकेंगे । ह्वाट्सऐप पर संप्रेषित किए गए किसी असुविधा/ सरोकार का अगले 12 घंटे के अंदर निराकरण किया जाएगा ।

निर्धनतम परिवारों के चिन्हीकरण में संबद्ध ग्राम स्तरीय कर्मचारी, ग्राम स्तरीय समिति के सदस्य व पदाधिकारी मॉप-अप मोबाइल ऐप के माध्यम से जीरो-पावर्टी टेक्नोलॉजी प्लेटफार्म का उपयोग विषयक दिशा निर्देश:

3. पहला कदम है प्रत्येक ग्राम पंचायत से निर्धनतम परिवारों की पहचान करने के लिए ग्राम-स्तरीय कर्मियों को एक एन्यूमेरेटर (enumerator) के तौर पर टेक्नोलॉजी प्लेटफार्म से संबद्ध करना ताकि वे मॉप-अप मोबाइल ऐप का उपयोग कर सकें । प्रत्येक खंड विकास अधिकारी/ Block Development Officer (BDO) जीरो-पावर्टी पोर्टल पर अपने विकास खंड के सभी ग्राम पंचायत वार ग्रामस्तरीय कर्मचारियों/ कैडर का सत्यापित प्रोफाइल अपलोड करेंगे। जीरो-पावर्टी पोर्टल पर अपलोड किए गए बीडीओ द्वारा सत्यापित प्रोफाइल के आधार पर सभी ग्राम-पंचायत स्तरीय कर्मचारी/ कैडर के यूजर-ऐड संपन्न हो जाएगा।

4. तत्पश्चात ग्रामस्तरीय कर्मचारी/ कैडर के सदस्य के मोबाइल पर SMS के माध्यम से मॉप-अप ऐप का लिंक तथा 4-संख्या का सिक्योरिटी कोड स्वतः संप्रेषित हो जाएगा । ग्रामस्तरीय enumerator टीम के सदस्य जैसे ही SMS के लिंक पर टैप करेंगे, मॉप-अप मोबाइल ऐप स्वतः डाउनलोड हो जाएगा तथा सिक्योरिटी कोड एंटर करते ही वे ऐप पर निर्धनतम परिवारों के चिन्हीकरण के लिए परिवार का विवरण भर पाएंगे । OTP SMS द्वारा उनके मोबाइल के सत्यापन के पश्चात साथ ही उपलब्ध होगा। उन्हें एक SMS के माध्यम से निम्न चार सूचना भेजी जायेगी : (1) जीरो-पावर्टी उत्तर प्रदेश अभियान, (2) मॉप-अप मोबाइल ऐप की लिंक, जिसे टैप करते ही उनके फ़ोन पर ऐप इनस्टॉल हो जाएगा, (3) सिक्योरिटी कोड नंबर, जो उनके मॉप-अप मोबाइल ऐप में प्रवेश करने के लिए अनिवार्य होगा, एवं (4) सीएम हेल्पलाइन का फ़ोन नंबर (1076), जिसे उन्हें अपने मोबाइल फ़ोन बुक पर

दर्ज कर लेना उचित होगा । जैसा उल्लिखित है, ये ग्राम-स्तरीय सदस्य निम्नलिखित होंगे -

(i) पंचायत सहायक,

(ii) ग्राम रोजगार सेवक,

(iii) आजीविका मिशन द्वारा संबद्ध किए गए समूह सखी तथा अन्य सामुदायिक कैडर, और

(iv) बीसी सखी;

इस प्रक्रिया का सरल चित्रांकन नीचे दर्शाया गया है

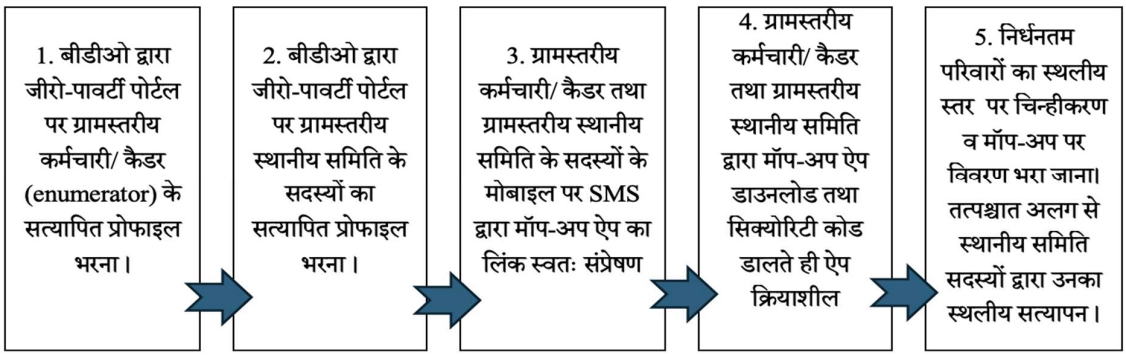

5. अगले कदम पर, ग्राम स्तरीय कर्मी शासनादेश के पृष्ठ 4 के पैरा 9 के दिए गए मानकों के अनुपालन करते हुए अपने ग्राम पंचायत में निवासरत निर्धनतम 10-25 परिवारों की पहचान कर उनके विवरण मोबाइल ऐप पर भरेंगे । उनके द्वारा भरे गए निर्धनतम परिवारों का विवरण ग्रामस्तरीय स्थानीय समिति के सदस्य अपने मोबाइल ऐप के डैशबोर्ड पर देख पाएंगे । ग्राम स्तरीय स्थानीय समिति के सदस्य मोबाइल डैशबोर्ड पर ध्यानपूर्वक देखते हुए उनका स्थलीय सत्यापन करेंगे तथा चिह्नित परिवार के निर्धनता के आधार पर मोबाइल ऐप पर ही अपना अभिमत स्पष्ट करेंगे । सत्यापित किए गए परिवारों का कम्प्यूटर-आधारित रेटिंग के पश्चात, उनकी विस्तृत सूचना जीरो-पावर्टी पोर्टल पर उत्तर प्रदेश शासन के सभी योजनाओं से संदर्भित विभाग के वेब-कंसोल पर प्रदर्शित किया जाएगा, ताकि ऐसे सभी परिवारों के सापेक्ष विभाग द्वारा दिए जा रहे योजनाओं के लाभ त्वरित गति से निर्णीत तथा कार्यान्वित हो ।

सीएम हेल्पलाइन 1076, IGRS की संबद्धतता: टेक्नो-थेमेटिक स्पष्टीकरण तथा फंक्शनल सपोर्ट, क्लाउड-कॉलिंग व अलर्ट्स, नोटिफिकेशन व मैसेजिंग की व्यवस्था

6. जीरो-पावर्टी अभियान में टेक्नोलॉजी व्यवस्था के अन्तर्गत सभी संभावित निर्धनतम परिवारों के अलावा सभी ग्राम स्तरीय कर्मचारी तथा ग्रामस्तरीय समिति के सदस्यों का डेटाबेस पोर्टल पर उपलब्ध होगा । ऐसे सभी पंजीकृत यूज़र्स को सीएम हेल्पलाइन द्वारा ना सिर्फ़ वेब-आधारित कॉल किया जाना संभव होगा बल्कि मॉप-अप मोबाइल ऐप के माध्यम से उन्हें आवश्यकतानुसार अलर्ट, नोटिफिकेशन तथा अपडेट के संदेश भेजा जाना संभव होगा । ऐसे भेजे गये सभी अलर्ट्स/ नोटिफिकेशन या अपडेट मॉप-अप के रिकॉर्ड्स में यूजर के मोबाइल पर रिकॉर्ड के तौर पर उपलब्ध होगा ताकि आवश्यकतानुसार उनका संदर्भ लिया जा सके । ये बहू-आयामी संप्रेषण व्यवस्था ग्रामीण क्षेत्र में डिजिटल असमानता के दृष्टि में रखकर बनाया गया है ताकि कोई भी किसी ना किसी माध्यम का प्रयोग करते हुए अपनी बात संबंधित विभाग के ज़िला, राज्य या शासन तक पंहुँचा सके । अगर आवश्यकता हो तो मॉप-अप मोबाइल ऐप पर वॉइस मैसेज/ आवाज-आधारित संदेश की व्यवस्था भी की जायेगी ताकि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र के किसी भी सुदूर स्थान से भी कोई अपनी बात शासन तक पंहुँचा सके । सीएम हेल्पलाइन को किए जाने वाले तथा सीएम हेल्पलाइन से कॉल होने पर प्राप्त होने वाला नंबर **1076** है ।